

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 21 अप्रैल, 2025

कार्यालय जापन

विषय:- 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में औद्योगिक महंगाई वेतनमान के अनुरूप बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग ने दिनांक 19.07.1995 के अपने कार्यालय जापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) के तहत बोर्ड स्तर के पद (अनुलग्नक-III) पर कार्यरत कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को इंगित किया। दिनांक 19.07.1995 के कार्यालय जापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) के अनुवर्ती का.जा. में, इस विभाग ने बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया है (अनुलग्नक-III)। उसमें उल्लिखित महंगाई भत्ता स्कीम के अनुसार, महंगाई भत्ता की किस्में 1099 (1960=100) के तिमाही सूचकांक औसत से ऊपर मूल्य वृद्धि के आधार पर प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर से देय हो जाती हैं।

2. इस विभाग के दिनांक 28.01.2025 के समसंख्यक कार्यालय जापन के अनुक्रम में, वर्ष 1992 के वेतनमान के आईडीए पैटर्न के अनुसार सीपीएसई बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते दरें निम्नानुसार संशोधित की जा सकती हैं:-

जिस तारीख से देय है :

01.04.2025

दिसम्बर, 2024 से फरवरी 2025 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 9414 है। प्रतिशत में लिंक प्वाइंट पर वृद्धि $[(9414-1099) / 1099 * 100]$ 756.6% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें 01.04.2025 से निम्नानुसार प्रभावी हैं।

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500 रुपए तक	न्यूनतम 16630/- रुपए के अध्यक्षीन वेतन का 756.6%
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	न्यूनतम 26481/- रुपए के अध्यक्षीन वेतन का 567.4%
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	न्यूनतम 36881/- रुपए के अध्यक्षीन वेतन का 454%
9500 रुपए से अधिक	न्यूनतम 43130/- रुपए के अध्यक्षीन वेतन का 378.3%

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक अंश को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम अंश को नजर अंदाज कर दिया जाए ।

4 1987 के वेतनमान वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आईडीए पैटर्न अपनाने वाले बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.04.2025 से देय औद्योगिक महंगाई भत्ते की राशि पुरानी पद्धति के निष्प्रभावन के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की वृद्धि की दर से (-59) अंकों की कमी के लिए 118/- रुपए तथा औसत एआईसीपीआई 9414 पर महंगाई भत्ता 17418 रुपए देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(डॉ. पी.के. सिन्हा)

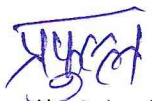
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।


(डॉ. पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव, भारत सरकार